

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।  
पत्रांक- 1590 /11-सी-FP/UP/Road/41235/2019, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 06, 2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव,  
पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,  
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषय:- जनपद-हमीरपुर में बिलरायों-पनवाड़ी मार्ग (राज्य मार्ग-21) के चैनेज 399.600 से 427.000 (चिकासी से राठ) तक 4-लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 49.32 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2611 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव सं0- FP/UP/Road/41235/2019

सन्दर्भ:- उ0प्र0 शासन का पत्रांक-135/81-2-2019-800(02)/2020, दिनांक 16.01.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयांकित प्रकरण में की गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा ने अपने पत्रांक-2474/33-1, दिनांक 04.02.2020 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रतार कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय  
612

(पंकज मिश्र)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- /11-सी- FP/UP/Road/41235/2019, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।
3. अवर अभियन्ता (सिविल), निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0, हमीरपुर।

(पंकज मिश्र)  
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ0प्र0, लखनऊ।